

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-33/2014-

/क०, पटना, दिनांक

,2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ड० नं०

आगत

दिनांक

1679

20-11-14

सेवा में,

श्री अनील कुमार श्रीवास्तव,
मेसर्स न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स,
(यूनिट ऑफ दी अवध शुगर मिल्स लि०)
नरकटियागंज, प० चम्पारण।

विषय :- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पोधा संरक्षण, पं० चम्पारण, बेतिया से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कीटनाशियों के विनिर्माण हेतु दिनांक 31.12.2015 तक के लिए कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Trichoderma Hrzanum 1.0 % WP
2	Paecilomyces lillacinus 1.0% WP

2-यह आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

3-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

4-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक तथा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5-विनिर्माण अनुज्ञप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन/बिक्री उन्ही फसलों के लिए की जायेगी जिन फसलों के लिए CIB & RC द्वारा Lable Claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बीच उक्त कीटनाशी के उपयोग की जानकारी समग्र रूप से दे दी जाय।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त कृषि निदेशक (पौ० सं०) बिहार को भी इसकी प्रति दी जाय।

7- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-.....दिनांककी मूल प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4949

/क०, पटना, दिनांक13-11-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पोधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना